



दिनांक – 17 दिसम्बर, 2019  
अति-आवश्यक / अति-महत्वपूर्ण

अपील

जिला/पुलिस प्रशासन के पत्र संख्या-एसटी/एसएसपी/36/2019 के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के समर्थन/विरोध में छात्रों द्वारा जुलूस, धरना-प्रदर्शन इत्यादि बड़े पैमाने पर किया जा सकता है जिसमें अन्य लोग भी सम्मिलित हो कर साम्प्रदायिक सौहार्द को खराब करके संज्ञेय अपराध की किसी भी घटना को अन्जाम दे सकते हैं। अतः ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा वर्तमान में धारा 144 सीआरपीसी भी लागू किया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के समस्त संस्थानों के निदेशक/संकायों के प्रमुख/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त तथ्यों से समस्त छात्र-छात्राओं को अवगत करायें तथा उन्हें सलाह दें कि वे इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से अपने को अलग रखें तथा इसमें शामिल न होकर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को सुचारू रूप से सामान्य रखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करें।

समस्त छात्रावासों के प्रशासनिक संरक्षक/संरक्षक से भी यह अनुरोध है कि अपने-अपने छात्रावास में उपस्थित रहकर इस प्रकार की किसी भी गतिविधि की सम्भावना की स्थिति में छात्र-छात्राओं को समझायें तथा किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप/उकसावे आदि से मुख्य आरक्षाधिकारी को तत्काल अवगत करायें।

तद दिनांक - 17.12.2019

पत्रांक—आर/जीएडी/विविध/28/42569

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त संस्थानों के निदेशक/समस्त संकायों के संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/अनुभाग/ईकाई,
  2. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) वाराणसी,
  3. प्राचार्य, महिला महाविद्यालय,
  4. समस्त विद्यालयों/कालेज के प्राचार्य/प्राचार्या,
  5. समस्त समन्वयक/प्रशासनिक संरक्षक/संरक्षक,
  6. आचार्य प्रभारी, रा.गा.द.प. (बरकछा),
  7. मुख्य आरक्षाधिकारी,
  8. वित्ताधिकारी,
  9. छात्र अधिष्ठाता,
  10. डॉ० के०पी० उपाध्याय, वरिष्ठ सलाहकार (प्रशासन, वित्त एवं परीक्षा)
  11. अधीक्षण अभियन्ता, विश्वविद्यालय निर्माण विभाग,
  12. परीक्षा नियंता,
  13. समन्वयक, संगणक केन्द्र को इस निवेदन के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।
  14. समस्त स्कूलों/केन्द्रों के समन्वयक,
  15. चिकित्सा अधिक्षक, सर सुन्दरलाल चिकित्सालय,
  16. आचार्य प्रभारी, ट्रॉमा सेन्टर, चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
  17. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी,
  18. समस्त संयुक्त कुलसचिव/उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/हिंदी अधिकारी/विधि अधिकारी,
  19. सहायक कुलसचिव एवं कुलपति जी के सचिव,
  20. प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी,
  21. छात्र सलाहकार,
  22. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक,
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

